भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 993
01.07.2019 को उत्तर के लिए

तटीय क्षेत्रों पर तटीय विनियमन क्षेत्र 2018 का कु-प्रभाव

993. श्री संजय सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना संबंधी कार्यकलापों की वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्र विनियमन ज़ोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2018 देश के तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तटीय क्षेत्रों को कष्टकारी जलवायु परिवर्तन संबंधी संवेदनशीलताओं से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) 18 जनवरी, 2019 की अधिसूचना जीएसआर 37(अ) द्वारा जारी नए तटीय विनियमों को सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद और तटीय क्षेत्र के मुद्दों का वैज्ञानिक रूप से निराकरण करने के कार्य हेतु विशेष रूप से गठित विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रचार किया गया है। इन नए विनियमों में पारि-संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा पर जोर दिया गया है जो सीआरजेड, अधिसूचना, 2011 में उपलब्ध नहीं थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'देश के पूरे तट के लिए खतरे की रेखा' का सीमांकन भी करवाया है, जिसका उपयोग राज्यों द्वारा अनुकूली और उपशमन उपायों की योजना सहित तटीय पर्यावरण के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक उपकरण के रूप में किया जाएगा।

*****